मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

<u>वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल</u>

क्रमांक: एफ 11-15/2015/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय- शासकीय आवास गृहों के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा अदेय प्रमाण पत्र बावत।

--**--

शासन के ध्यान में आया है की शासकीय आवास गृहों के अदेय प्रमाण पत्र के संबंध में कतिपय विभागों/विभागाध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक बी- 25/5/97/पीडब्लयूसी/चार, दिनांक 4-2-97 अनुसार कार्यवाही नहीं की जाने से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के निराकरण में विलम्ब की स्थिति निर्मित हो रही है। अतः अदेय प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं :-

(I) शासकीय आवास के किराये के संबध में लोक निर्माण विभाग के कार्यालय से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त की जाती है। सेवानिवृत्ति की तिथि तक आवास किराये की राशि वसूल होने और उक्त तिथि तक किराया बकाया न होने का प्रमाण पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग (जहाँ कि शासकीय सेवक पदस्थ है एवं सेवानिवृत्त हुए हैं) के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सौंपा जाता है।

(II) जल कर एवं विद्युत शुल्क का भुगतान शासकीय सेवक द्वरा नगर/निगम पालिका विद्युत कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये देयकों के आधार पर इन संस्थानों को किया जाता है। अतः जलकर विधुत शुल्क की अंतिम देयक की राशि जमा करने की रसीद को ही अमांग प्रमाण पत्र आहरण एवं संवितरण द्वारा मान्य किया जायेगा। अंतिम देयक का आशय शासकीय सेवक द्वारा शासकीय आवास की अधिपत्य की तिथि तक है ।

2/ उपर्युक्त व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु अधीनस्थ संस्थानों को समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें एवं संबंधित संस्थान यह सुनिश्चित करें कि शासकीय सेवक से प्राप्त होने वाली देयता का उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार निराकरण किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांकः एफ 11-15/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचानालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म,प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाइल

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित् विभाग